न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पीठासीन अधिकारी :– नन्दकिशोर राजोरा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 91 / 2017

अपीलाण्ट –

वीरसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी भारून्दा तहसील सुमेरपुर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स –

1. भंवर कंवर पुत्री मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी भारून्दा वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक विधिक आपत्ति

उपस्थिति –

अपीलाण्ट की ओर से श्री रामलाल भाटी, अधिवक्ता

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता

– आदेश –

दिनांक : 20/10/22

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने प्राथमिक विधिक आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र का अपील निस्तारण से पूर्व निस्तारित कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध संयुक्त रूप से अपील प्रस्तुत की है, जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं हैं। अतः पोषणीयता के आधार पर अपील खारिज़ कराने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में DNJ (Revenue) 2013 Page 326, A.I.R. 2002 SC Page 204, RRT 2017(2) page 1281, RRT 2020(1) Page 83, DNJ 2008 (SC) Page 1055 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है, जिसे गुणावगुण पर निर्णीत किया जाना हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत न कर उससे सम्बन्धित तथ्यों को हस्तगत अपील में उठाया है, जिसकी कानून इज़ाजत देता हैं। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक विधिक आपत्ति को खारिज़ करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में DNJ (Raj) 2022(2) Page 600 & DNJ 2012 (SC) Page 89 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

हमने उभयपक्ष के तर्कों पर गौर किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये है, उनका ससम्मान अध्ययन किया एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 10.12.2015 के विरूद्ध संयुक्त रूप से यह अपील प्रस्तुत की हैं। प्रकरण में विधिक स्थिति यह प्रकट होती है कि क्या अलग–अलग निर्णय डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील पोषणीय है अथवा नहीं ? इस बिन्दु पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक–पृथक अभिमत प्रदान किये हैं। मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 के प्रावधान इस तथ्य को प्रभावित करते है, जिसमें यह प्रावधान है कि " Where any party aggrieved by a preliminary decree passed after the commencement of this Code does not appeal from such decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree." प्रकरण हाजा में अपीलाण्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री की शुद्धता को भी प्रश्नगत किया है, किन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 के प्रावधान इसकी इज़ाजत नहीं देता हैं। इस हेतु अपीलाण्ट का यह दायित्व था कि वे दोनों ही निर्णय डिक्रियों की पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रयास करते, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर पृथक–पृथक डिक्रियों के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं हैं।

लिहाजा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जाती हैं। इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली